MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
5th Floor, "Metro Plaza", E-5 Arera Colony, Bittan Market, Bhopal-462 016
Phone No: 0755- 2463585, 2430154
E-mail : secretary@mperc.nic.in Website : www.mperc.in

No.: MPERC/CT/2026/ 1217 Bhopal, Dated: 17 /07/2026

प्रति,

www.mperc.in

विषयः— 315 के.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर सब—स्टेशन के संधारण कार्य करने के संबंध में।

आयोग कार्यालय की सप्लाई के लिए 315 के.व्ही.ए. टांसफार्मर सब—स्टेशन स्थापित है, जिसके संधारण के निम्न विवरण अनुसार कार्य "ए" श्रेणी (A-Class) अनुज्ञप्तिधारी विद्युत ठेकेदार से कराया जाना है। उक्त ट्रांसफार्मर सब—स्टेशन का निरीक्षण कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है। "ए" श्रेणी विद्युत ठेकेदार निम्न विवरण अनुसार रख—रखाव कार्य करने की न्यूनतम दरों का प्रस्ताव समस्त करों सहित आयोग कार्यालय में दिनांक 27.07.2026 को 3 बजे अपरान्ह प्रेषित करने का कष्ट करें।

Sl.No.	Description of Work	Quantity/Unit
1.	Building Transformer Panel Outdoor Enclosure	1 No.
2.	Aluminium Busbar	1 No.
3.	MS Panel Stand	1 No.
4.	Panel Installation	1 Job
5.	APFC Capacitor Paner 30 KVAR	1 No.
6.	Transformer Paint Work	1 Job
7.	SS Yard New Fencing - 165 Sq.Ft.	165 Sq.Ft.
8.	Concreting of Fencing - 33 Running Ft.	33 R.Ft.

निबंधन तथा शर्तें (Terms & Conditions)

1. आयोग के पत्र में दर्शाई गई इन्क्वायरी नं./दिनांक कोटेशन में एवं लिफाफे पर स्वच्छ अक्षरों में लिखा होना चाहिए।
2. कोटेशन में दर्शाई जाने वाली राशि अंको एवं शब्दों में स्वच्छ लिखी होनी चाहिए।
3. आपके द्वारा दी गई दरें प्रचलित समस्त करों का स्पष्ठ उल्लेख होना चाहिए।
4. कोटेशन में कहीं पर भी ओवर राईटिंग अथवा काट छांट नहीं होनी चाहिए अन्यथा कोटेशन अमान्य किया जाऐगा।
5. कोटेशन में दी गई दरों की वैधता की अवधि कम से कम छह माह होना चाहिए।
6. इच्छुक बोली प्रदायकर्ता राज्य शासन के संबंधित विभाग के उचित प्राधिकारी द्वारा **'ए'** श्रेणी विद्युत ठेकेदार पंजीबद्ध होना चाहिए तथा उसके पास पिछले तीन वर्षो के दौरान इसी प्रकार के कार्य के सफलता पूर्वक निष्पादन का अनुभव होना चाहिए। इच्छुक बोली प्रदायकर्ता को उसके **'ए'** श्रेणी विद्युत ठेकेदार के पंजीकरण के संबंध में प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे तथा इसी प्रकार के कार्य के निष्पादित किये जाने के समर्थन में कार्यादेश की प्रति।
7. बोली प्रदायकर्ता को यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे किसी शासकीय, अर्द्धशासकीय, संस्था या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है और न ही उसे असूचीबद्व (Delisting) किया गया है।

8. सेवा–कर पंजीकरण (GST Registation) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि सेवा–कर लागू न हो तो फर्म को इस आशय का एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सेवा–कर अधिरोपित किये जाने की दशा में फर्म सेवा–कर भुगतान किये जाने बाबत् पूर्णतया उत्तरदायी होगी।
9. उसे स्थाई आयकर खाता क्रमांक (Permanent Income Tax Account Number) की फोटो कापी प्रस्तुत करनी होगी।
10. संविदा प्रपत्र को फर्म के स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा या फर्म के भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसे अधिकार पत्र (Power of attorney) प्राप्त हो।
11. सफल बोली प्रदायकर्ता विद्युत सुरक्षा नियम (Electrical Safety Rules) तथा विनियमों के परिपालन हेतु उत्तरदायी होगा तथा उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सुविधायें (Safety Devices)/औजार तथा उपकरण (T&P) उपलब्ध कराये जाने के संबंध में उत्तरदायी होगा।
12. सफल बोली प्रदायकर्ता को उसके द्वारा लगाये गये कर्मियों के संबंध में समस्त वैधानिक वचन बद्धताओं (Statutory Obligations) की पूर्ति करनी होगी।
13. मेंटेनेंस में उपयुक्त सामग्री तथा मेंटेनेंस कार्य एक वर्ष की गारंटी लेनी होगी। एक वर्ष के भीतर सामग्री के खराब होने पर या कार्य में खराबी पाए जाने पर ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय पर उसे रिपेयर करना होगा।
14. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रकरण भोपाल स्थित सक्षम न्यायालय में ही दाखिल किया जा सकेगा।
15. आयोग को प्रस्ताव प्राप्त होने के पहले अथवा बाद में इन्क्वायरी निरस्त करने के पूर्ण अधिकार होंगे।

(डॉ. उमाकांत पांडा)
सचिव
म.प्र.विद्युत नियामक आयोग, भोपाल।

O/c